

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	तकनीकी शिक्षा
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1254
उत्तर की तिथि	:	18-09-2020
विषय	:	कम्प्यूटर डिप्लोमा
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	तकनीकी शिक्षा मन्त्री

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि प्रदेश में संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्प्यूटर संस्थानों में लाखों प्रशिक्षणार्थियों ने कम्प्यूटर डिप्लोमाज प्राप्त किये हैं परन्तु सरकारी भर्तियों हेतु उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है; और	तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदों को भरने हेतु वांछित तकनीकी शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान जो कि किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, का प्रावधान किया गया है।
(ख)	यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है ?	उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।